दिनांक 24.05.2021
प्रेस विज्ञप्ति 24/21

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा शरीर सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम के सम्बन्ध में और अधिक प्रभावी कार्यवाही हेतु दिये दिशा निर्देश

श्री एच0सी0 अवस्थी, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस आयुक्त लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, वाराणसी, कानपुर, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/ पुलिस उपमहानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद/रेलवेज उ0प्र0 को शरीर सम्बन्धी अपराधों/ आपसी रंजिश के कारण हत्या जैसे अपराधों पर प्रभावी रोकथाम/अंकुश लगाने हेतु पूर्व में निर्गत परिपत्र एवं समय–समय पर दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए कार्य योजना तैयार कर और अधिक प्रभावी कार्यवाही हेतु पुनः निम्न दिशा निर्देश दिये गये :–

- क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारियों द्वारा समस्त ग्रामों/मोहल्लों का भ्रमण कर इस बात की समीक्षा कर ली जाये कि कही किसी प्रकार की रंजिश व वैमनस्यता तो नहीं है। यदि वैमनस्यता/रंजिश परिलक्षित होती है, तो तत्काल आवश्यक निरोधात्मक कार्यवाही की जाये।
- हत्या के ऐसे अभियोग जिनका अनावरण नहीं हुआ है, उनका क्षेत्राधिकारियों के निकट पर्यवेक्षण में अनावरण की कार्यवाही करायी जाये।
- थाना क्षेत्र के प्रत्येक रंजिश/विवादों का अंकन ग्राम/मोहल्ला विवाद रजिस्टर में कर लिया जाय तथा स्थलीय निरीक्षण भी किया जाये। बीट उप निरीक्षक द्वारा अपने–अपने वीट के विवादों की निगरानी की जाये एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इसकी समीक्षा भी की जाये।
- बीट प्रणाली को और प्रभावी बनाते हुये महत्वपूर्ण सूचनाओं के संग्रहण हेतु थाना प्रभारियों की जिम्मेदारी तय की जाये। थाना स्तर पर ग्राम/मोहल्लो में प्रचलित अथवा उत्पन्न तनाव/विवाद को बीट उ0नि0/बीट आरक्षी द्वारा चिन्हित किया जाये। थाना प्रभारी द्वारा नियमित रूप से बीट बुक का निरीक्षण किया जाये।

- अपराधिक छवि के व्यक्तियों पर सर्तक दृष्टि रखी जाये। ऐसे अपराधी जो हत्या जैसे अपराधों के प्रकरणों में बार—बार नामित/प्रकाश में आये हैं तथा जमानत पर हो, उनकी जमानत निरस्तीकरण की नियमानुसार कार्यवाही की जाये।
- प्रत्येक थाना क्षेत्र में पेशेवर हत्यारों व अवैध शस्त्र बनाने वालों को चिन्हित कर उनकी सतत् निगरानी की जाये। किसी प्रकार के विधिविरूद्ध गतिविधियां प्रकाश में आने पर तत्काल नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाये।
- किसी भी विवादित प्रकरण के सम्बन्ध में नियमानुसार निरोधात्मक कार्यवाही की जाये तथा यह भी सुनिश्चित किया जाये कि धारा 116(3) दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत अधिक से अधिक धनराशि में पाबन्द कराने, एवं शस्त्र लाइसेन्स के निलम्बन/निरस्तीकरण के सम्बन्ध में प्रभावी पैरवी कर तत्काल शस्त्र जमा कराने की कार्यवाही की जाये।
- अवैध असलहों के प्रयोग से हुयी हत्या की घटना की समीक्षा करते हुये हत्या में प्रयोग किये गये अवैध शस्त्र के प्राप्त करने के श्रोतो के बारे में जानकारी कर उनके विरूद्ध भी प्रभावी वैधानिक कार्यवाही कराना सुनिश्चित किया जाये।
- हत्या सम्बन्धी अभियोगों की विवेचना का पर्यवेक्षण गहनता से करते हुये आरोप पत्र मा0 न्यायालय में समय से प्रेषित किया जाये। हत्या के जो प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन हैं उन प्रकरणों में त्वरित एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये मा0न्यायालय में आरोपी को दण्डित कराने का यथा प्रयास किया जाये।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा एक कार्यशाला के माध्यम से जनपदों में नियुक्त सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को दिये गये निर्देशो से अवगत कराते हुए कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।

जनपद बरेली/थाना नबावगंज

- **पुलिस कार्यवाही में 25—25 हजार रूपये के 03 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

- **03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 06 जीवित, 03 खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 24.05.2021 को थाना नबावगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम इनायतनगर पुलिया के पास से पुलिस कार्यवाही में 03 पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1—मंजर अली 2—मजहर अली 3—सरवर अली को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 06 जीवित, 03 खोखा कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं। गिरफ्तार अभियुक्त मंजर अली के विरूद्ध जनपद बरेली के थाना नवाबगंज में हत्या, हत्या का प्रयास, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि 05 अभियोग, अभियुक्त मजहर अली के विरूद्ध , जनपद बरेली के थाना नवाबगंज पर हत्या, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 04 अभियोग व अभियुक्त सरवर अली के विरूद्ध जनपद बरेली के थाना नवाबगंज पर हत्या, हत्या का प्रयास व आर्म्स एक्ट के कई अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना नवाबगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0—190/2021 धारा 147/148/149/302/307/452/504/498ए भादवि व 3/4 दहेज अधिनियम में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25—25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना नबावगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मंजर अली निवासी जरेली थाना नवाबगंज जनपद बरेली।
2—मजहर अली निवासी जरेली थाना नवाबगंज जनपद बरेली।
3—सरवर अली निवासी जरेली थाना नवाबगंज जनपद बरेली।

बरामदगी

1—03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 06 जीवित, 03 खोखा कारतूस।

जनपद आगरा/थाना न्यू आगरा

- **25–25 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **10 पेटी अवैध शराब**
- **01 चार पहिया वाहन बरामद**

दिनांक 23.05.2021 को थाना न्यू आगरा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना न्यू आगरा क्षेत्र से पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1–पृथ्वी 2–अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 10 पेटी अवैध शराब, 01 चार पहिया वाहन बरामद हुए।

उल्लेखनीय है गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिनके विरूद्ध जनपद आगरा के विभिन्न थानो में धोखाधड़ी, आबकारी एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना न्यू आगरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0–101/2021 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25–25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना न्यू आगरा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–पृथ्वी निवासी दीप विहार दयालबाग थाना न्यू आगरा जनपद आगरा।

2–अभियुक्ता निवासी दीप विहार, दयालबाग थाना न्यू आगरा जनपद आगरा।

बरामदगी

1–10 पेटी अवैध शराब।

2–01 चार पहिया वाहन।

जनपद आगरा/थाना हरीपर्वत

- **20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 01 किलो 900 ग्राम चॉदी**
- **01 दो पहिया वाहन बरामद**

दिनांक 24.05.2021 को थाना हरीपर्वत पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भगवान टॉकीज चौराहे के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त नासिर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 किलो 900 ग्राम चॉदी, 01 दो पहिया वाहन बरामद हुये।

उल्लेखनीय है गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना हरीपर्वत पर पंजीकृत मु0अ0सं0–68/2021 धारा 392/411/120बी भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना हरीपवर्त पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–नासिर निवासी 22/308 ब्राहम्मण गली थाना मण्टोला जनपद आगरा।

बरामदगी

1–01 किलो 900 ग्राम चॉदी।

2– 01 दो पहिया वाहन

जनपद सीतापुर/थाना संदना

- **20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 23.05.2021 को थाना संदना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कल्ली चौराहे के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त राजेश को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद सीतापुर के विभिन्न थानो में चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के आधा

दर्जन अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना संदना पर पंजीकृत मु0अ0सं0–01/2021 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना संदना पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राजेश निवासी गंज थाना मछरेहटा जनपद सीतापुर।

जनपद कुशीनगर/थाना विशुनपुरा

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 14 हजार 500 रूपये नगद**
- **02 मोबाइल फोन**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद**

दिनांक 24.05.2021 को थाना विशुनपुरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बड़हरा पुलिया के पास से 02 अभियुक्तों 1– मुजफ्फर आलम 2–साहब हुसैन उर्फ राजा हुसैन को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 14 हजार 500 रूपये नगद, 02 मोबाइल फोन, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर) बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 04.05.2021 को थाना विशुनपुरा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना विशुनपुरा पर मु0अ0सं0–86/2021 धारा 392 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद नगद रूपये उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना विशुनपुरा द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1– मुजफ्फर आलम निवासी रेड़हा थाना भितहां जनपद पं0 चम्पारण, बिहार।

2–साहब हुसैन उर्फ राजा हुसैन निवासी रेड़हा थाना भितहां जनपद पं0 चम्पारण, बिहार।

बरामदगी

1–लूट के 14 हजार 500 रूपये नगद।

2– 02 मोबाइल फोन।

3– 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)

जनपद बस्ती/थाना हर्रैया

- **अवैध शराब बनाकर संचालित करने वाले 04 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 08 लाख रूपये कीमत की 800 लीटर रेक्टी फाईड स्प्रीट व 325 लीटर अपमिश्रित शराब**
- **02 हजार 80 रूपये नगद**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 24.05.2021 को थाना हर्रैया पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर विभिन्न स्थानों से अवैध शराब संचालित करने वाले 04 शातिर अभियुक्तों 1– विनोद 2–भजिमन उर्फ कुकुन 3–गोली 4–राजू उर्फ जरलाहे को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 08 लाख रूपये कीमत की 800 लीटर रेक्टी फाईड स्प्रीट व 325 लीटर अपमिश्रित शराब, 02 हजार 80 रूपये नगद, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना हर्रैया पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–विनोद निवासी ग्राम पिनेसर थाना हर्रैया जनपद बस्ती।

2–भजिमन उर्फ कुकुन निवासी पिनेसर थाना हर्रैया जनपद बस्ती।

3–गोली निवासी ग्राम पिपरी थाना दुबौलिया जनपद बस्ती।

4–राजू उर्फ जरलाहे निवासी नरायनपुर तिवारी थाना हर्रैया जनपद बस्ती।

बरामदगी

1–लगभग 08 लाख रूपये कीमत की 800 लीटर रेक्टी फाईड स्प्रीट व 325 लीटर अपमिश्रित शराब।

2–02 हजार 80 रूपये नगद।

3– 01 मोटर साइकिल।

जनपद बाराबंकी/थाना बदोसराय

- **मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार**
- **260 ग्राम अवैध मारफीन बरामद**

दिनांक 23.05.2021 को थाना बदोसराय पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम अद्रा से मादक पदार्थ तस्कर सुनील कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 260 ग्राम अवैध मारफीन बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी हैं, जिसके विरूद्ध जनपद बाराबंकी के विभिन्न थानों पर चोरी, बलत्कार, मारपीट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना बदोसराय पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–सुनील कुमार निवासी अमानियापुर थाना बदोसराय जनपद बाराबंकी।

<u>बरामदगी</u>

1–260 ग्राम अवैध मारफीन।

————